कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 7159 दिनांकः 12 मई 2021

समस्त अधीक्षक,
सामु0स्वा0केन्द्र
बाराबंकी।

दिनांकः 05 मई 2021 से 09 मई 2021 के मध्य चले कोविड हाउस टू हाउस संवेदीकरण सर्विलान्स अभियान हेतु गॉवों में आशा क्षेत्रवार टीमें लगाई गई थी। उक्त टीमों द्वारा प्रतिदिन 30 से 40 घर का भ्रमण कर कोविड सिम्टोमेटिक केसेज की पहचान की गई।

अभियान के दौरान पाये गये सिम्टोमेटिक सभी केसों को मेडिसिन किट एवं एन्टीजन टेस्ट किया जाना अनिवार्य है।

अतएव उक्त कम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि घर–घर अभियान के दौरान पाये गये सभी सिम्टोमेटिक केसों को शत–प्रतिशत मेडिसिन किट एवं उनकी एन्टीजन किट के माध्यम से जॉच दिनांकः 13 मई 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराये।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सकंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

D.Singh 11/5/21

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19 / 2020

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–ः

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
6. समस्त उप जिला अधिकारी, बाराबंकी।
7. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
8. एस0एम0ओ0, डब्लू0एच0ओ0 बाराबंकी।
9. डी0एम0सी0, यूनीसेफ बारांबकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी